7/6/17	पत्रावली लोक अदालत ... हेतु प्रस्तुत हुई। पक्षकारान् ... सहमत ... नहीं होने के कारण ... अतः पत्रावली दिनांक 13/7/17 ... न्यायालय ... में पेश हो। उपखण्ड अधिकारी ... कैंसिल हव०/P.O. साहब ... पत्रावली दिनांक 19/1/18 को पेश हो।
19.1.18	वकील वादी ... सरकार (उप.) ... हाजिर ... पत्रावली दिनांक 31.1.18 को पेश हो। SDO
31.1.18	वकील वादी उपस्थित। प्रा० पत्र ... [illegible] ... विस्तृत ... पृथक से लिखा ... किया गया। पत्रावली फैसले ... [illegible] ... SDO

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/92 सन् 2013

वउनवान

1. धर्मसिंह पुत्र किशोर जाति जाट
2. करणसिंह पुत्र किशोर जाति जाट
3. विजयसिंह पुत्र किशोर जाति जाट
4. विजेन्द्रसिंह पुत्र किशोर जाति जाट
5. महेन्द्रसिंह पुत्र किशोर जाति जाट
6. सतेन्द्र पुत्र किशोर जाति जाट

निवासीयान ग्राम लिडपुरी तहसील कठूमर

------ सायलान

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्ट्रर महोदय अलवर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर

----- गैरसायलान

दर0212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

श्री राजेन्द्रसिंह चौधरी एडवोकेट : वकील सायलान

पैरोकार सरकार : गैरसायलान की ओर से

आदेश

दिनांक 31.01.2018

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि सविक आराजी खसरा नम्बर 179 मिन रकवा 2 वीघा 19 विस्वा वाके ग्राम

टिटपुरी तहसील कठूमर में स्थित है जिसका हाल बन्दोबस्त आराजी खसरा नम्बर 193 रकवा 2 वीघा 19 विस्वा (0.75) है। आराजी मुतनाजा मिन सायलान के दादा कन्हैंया व पिता किशोर के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है उनके फौत हो जाने पर सायलान को आराजी मुतनाजा विरासत में प्राप्त हुई है। आराजी मुतनाजा संवत् 2012 से पूर्व यानि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के पूर्व से सायलान वो सायलान के पिता व दादा किशोर,कन्हैंया की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी रही है। आराजी मुतनाजा में सायलान का बाग लगा हुआ है। पुख्ता कुआ चारा भरने के लिये घर बना हुआ है। आराजी मुतनाजा कभी भी तलाई की भूमि नहीं रही और ना कभी उक्त रकवा चारागाह के काम में आया। इसी आराजी में कन्हैंया का दाह संस्कार किया था। जिसकी छतरी मौके पर बनी हुई है सायलान का लकडी चारा रखा है। सायलान विवादित आराजी पर वुजुर्गान के समय से काविज है। बन्दोबस्त से पूर्व सायलान की खातेदारी की आराजी रही है। वन्दोबस्त विभाग द्वारा विना नोटिस दिये विना सुनवाई किये खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विधि विरूद्व तरीके से चारागाह दर्ज कर दिया। कानूनन बन्दोवस्त विभाग को पुराने इन्द्राज रिपीट कर विवादित आराजी को सायलान की खातेदारी में दर्ज करना चाहिए था वन्दोवस्त विभाग को इस प्रकार से इन्द्राज बदलने का अधिकार नहीं था। गलत इन्द्राज की आड में गैरसायलान सायलान के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है व जवरन कब्जा करने व सायलान को वेदखल करने की कोशिश में है। अत सायलान ने आराजी खसरा नम्बर 193 रकवा 2 वीघा 19 विस्वा वाके ग्राम लिडपुरी तहसील कठूमर में सायलान के कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा ना करने एंव जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करने वावत गैरसायलान को पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान के जरिये सम्मन तलव किया गया। गैरसायलान की ओर से पैरोकार सरकार ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि वन्दोवस्त विभाग ने

विवादित आराजी वावत चारागाह के इन्द्राज सही दर्ज किये है। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने भू प्रबन्ध मौके पर पैमाइस कर तथा किस्म निर्धारण कर एंव साविक रेकार्ड अनुसार खातेदारी कृषकों को पर्चे जारी कर उज्रदारी सुनी जाने के पश्चात् नवीन रेकार्ड तैयार किया है। विवादित आराजी ग्राम की शामलाती एंव सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की भूमि है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमि होने से खातेदारी दिये जाने से प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में है। माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने चारागाह भूमि को व्यक्ति विशेष को खातेदारी देने पर रोक लगाई है। अतः प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किया जावे।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र पत्र के साथ मिलान क्षैत्रफल, जमाबन्दी हाल, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2030 से 2032 नकल जमाबन्दी संवत् 2019 से 2022 की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता सायलान ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी वन्दोवस्त से पूर्व के तमाम राजस्व रेकार्ड में वादीगण के पूर्वजों के कब्जे काश्त खातेदारी में दर्ज रही है। किशोर व कन्हैया की खातेदारी में भी दर्ज थी। जिसके लिये साविक रेवन्यु रेकार्ड पेश किया है। विवादित आराजी पर पूर्व में सायलान के वुजुर्ग व वर्तमान में सायलान का कब्जा है। प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति सायलान के पक्ष में वखूवी सावित है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

पैरोकार ने अपनी वहस के दौरान अधिवक्ता सायलान के कथनों का विरोध करते हुये कथन किया कि वन्दोवस्त विभाग द्वारा विवादित आराजी को मुताविक मौका साविक रेवन्यु रेकार्ड के मुताविक चारागाह में सही दर्ज किया है। चारागाह की भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष को खातेदारी देना प्रतिबन्धित है।

सायलान ने प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। सायल को प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना–पूर्ति होने वाली क्षति

उक्त विन्दुओं पर हमारा विवेचन निम्न प्रकार से है।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता सायलान व पैरोकार सरकार की वहस पर मनन किया। सायलान ने आराजी खसरा नम्बर हाल 193 रकवा 2 वीघा 19 विस्वा वाके ग्राम लिडपुरी वुजुर्गानी बताते हुये खातेदारी घोषणा कराने का दावा पेश किया है। विवादित आराजी वावत सायलान की वुजुर्गानी कब्जे काश्त खातेदारी की है या नहीं यह प्रार्थना पत्र की विषय बस्तु नहीं है ये तथ्य तो मूल दावा में साक्ष्य आने पर ही तय किया जावेगा। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी गौचर दर्ज है। जिससे गैरसायलान को पावन्द नहीं किया जा सकता। प्रार्थना पत्र के तीनों विन्दु सायलान के पक्ष में सावित नहीं होते। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र सावित ना होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

कनिष्क रानी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 31.01.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क रानी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर